

बिल का सारांश

भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) बिल, 2025

- भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) बिल, 2025 को 18 अगस्त, 2025 को लोकसभा में पेश किया गया। बिल का उद्देश्य भारतीय प्रबंधन संस्थान एक्ट, 2017 में संशोधन करना है। यह एक्ट भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करता है और उनके कामकाज को रेगुलेट करता है।
- आईआईएम गुवाहाटी की स्थापना: बिल में गुवाहाटी, असम में एक आईआईएम की स्थापना का प्रावधान है। संस्थान के प्रथम संचालक मंडल के गठन तक, इसके कार्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्तियों द्वारा संचालित किए जाएंगे।

डिस्क्लेमर: प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।